नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए सुपर बाजार को कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Formulation of Plan Proposals in consultation with Zilla Parishads

1421. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Planning Commission has commenced the exercise of consulting Zilla Parishads and Panchayati Raj institutions for finalisation of Plan proposals;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Planning Commission has sent study teams for district-level assessment; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Sugar Mills in Uttar Pradesh

1422. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the number of sugar mills running in Uttar Pradesh at present, district-wise details;

(b) whether government have changed the name of Amritsar Sugar Mill, Mazaffarnagar to Uttar Pradesh Rajya Sugar Nigam, Rohana Kalan, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the building of this new Sugar Mill was constructed in 1991 but due to non-availability of resources, machines etc. the said sugar mill is not functioning since then; and

(e) if so, what steps are being taken or are proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) A statement showing the district-wise number of sugar mills of the State of Uttar Pradesh which worked during current sugar season 1994-95 (As on 7.8.95) is enclosed. (*See* below).

(b) and (c) As per the information available with this Ministry, the name of Amritsar Sugar Mill, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh has been changed to M/s. Uttar Pradesh State Sugar Corporation Ltd. unit Rohana Kalan, Distt. Muzaffarnagar.

(d) and (e) This is an existing sugar factory and has been working even prior to 1991-92 season (October-September) and has also worked during 1994-95 season.

Statement

District-wise Number of Sugar Mills of the State of Uttar Pradesh which worked during current Sugar season 1994-95. (As on 7.8.95)

Sl. No.	District	No. of Factories worked during 1994-95
1	2	3
1.	Aligarh	1
2.	Azamgarh	1

3.	Bulandshahr	3
4.	Bijnor	5
5.	Bareilly	3
6.	Badaun	1
7.	Barabanki	3
8.	Bahraich	2
9.	Basti	3
10.	Ballia	1
11.	Dehradun	1
12.	Deoria	8
13.	Etah	1
14.	Farrukhabad	1
15.	Faisabad	1
16.	Ghaziabad	2
17.	Gorakhpur	2
18.	Ghazipur	1
19.	Gonda	3
20.	Hardwar	2
21.	Hardoi	1
22.	Kanpur	1
23.	Jaunpur	1
24.	Kheri	5
25.	Meerut	7
26.	Maharaniganj	2
27.	Mathura	1
28.	Mau	1
29.	Nainital	6
30.	Padrauna	6
31.	Pilibhit	4
32.	Rampur	2
33.	Rai Bareilly	1
34.	Saharanpur	4
35.	Shahjahanpur	3
36.	Sultanpur	1
37.	Sitapur	5
38.	Varanasi	1
39.	Muzaffarnagar	6
40.	Moradabad	6
	TOTAL:	109

बाल श्रम की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाया जाना

1423. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रम की प्रथा के उन्मूलन हेतु कब तथा कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कानूनों की समीक्षा की है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कानूनों के उल्लंघन करने वाले दोषी पाए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (23 सितम्बर, 1948 को अधिनियमित), खान अधिनियम, 1952 (15 मार्च, 1952 को अधिनियमित), बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें अधिनियम, 1966 (30 नवम्बर, 1966) को अधिनियमित) जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निवारात्मक उपबंधों के अलावा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (23 दिसम्बर, 1986 को अधिनियमित) के अंतर्गत भी अनूसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के प्रवर्तन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन नियमों की सरकार द्वारा सतत रूप में समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर, उनमें संशोधन किया जाता है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए इन अधिनियमों के अधीन राज्यवार प्रवर्तन संबंधी आंकडे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1949 का प्रवर्तन

1992-93

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरियाणा	—	29	—	—	—	—	—	—